न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

प्रकरण संख्या :- 21/2020
RCMS NO:- 2020/00050

दायर दिनांक 13.08.2020

पीठासीन अधिकारी :- श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. काली बाई पत्नि प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम गुजरिया खेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:— अंतर्गत धारा 111 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति:—

1. प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण तवानिया।

निर्णय दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुजरिया खेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के वर्तमान खाता संख्या 20 की कृषि भूमियो खसरा संख्या 722/200 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 725/206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 726/206 रकबा 5 बीघा स्थित है। खसरा संख्या 725/206 के राजस्व नक्शे में पूर्व नम्बर 798/206/1 है। यह कि प्रार्थना—पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की प्रार्थीया खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज काश्त चली आ रही है। इस भूमि पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार के सदस्य हर वर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे है। नकल जमाबंदी प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना—पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि एक ही जगह पर स्थित है। यह कि प्रार्थीया एक असहाय महिला है। प्रार्थना—पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की मुस्तकिल पत्थरगढी नही हो रही है। कई बार सीमाज्ञान करवाया है परन्तु पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की कृषि खसरा संख्या 722/200 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 725/206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 726/206 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम गुजरिया खेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी की नियमानुसार पैमाईश करवाकर पत्थरगढी किये जाने और मुस्तकिल सीमाबंदी करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये है।

प्रार्थना के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से पत्थरगढी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। पटवार मण्डल सादेडा के वाके ग्राम गुजरिया खेडा में खसरा संख्या 722/200 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा किस्म बंजड खसरा संख्या 725/206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड तथा खसरा संख्या 726/206 रकबा 5 बीघा किस्म बंजड जमाबंदी सम्वत(2076—2079) में नया खाता संख्या 20 पर काली बाई पत्नि प्रहलाद हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा.देह खातेदार दर्ज है। खसरा संख्या 725/206 रकबा 2—04 बीघा में से लगभग 2—02 बीघा भूमि पर खातेदार का कब्जा है। खसरा [illegible] बिस्वा में से लगभग 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा है। तथा खसरा नम्बर 72[illegible] 5 बीघा में लगभग 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा है। तरमीम [illegible] है। तथा रेवन्यू बोर्ड अजमेर में वाद जैरकार है। वाद संख्या [illegible] 2017 से [illegible] दिया हुआ है, जिसकी छाया प्रति [illegible] भूमि विवादग्रस्त है [illegible] संबंधी विवाद है। पूर्व में भी हिंसा हो चुकी है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ—पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का [illegible]न किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है [illegible] उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार है एवं मौके पर कब्जा काश्त है। खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

200 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वाद जेरकार है जिसमें वाद संख्या डीबी/6958/2017 में दिनांक 27.11.2017 से स्थगन आदेश दिया हुआ है। प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन खसरा संख्या 722/200 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर स्थगन होने से पत्थरगढी के आदेश नहीं दिये जा सकते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गुजरिया खेडा पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी में समाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के वर्तमान खाता संख्या 20 की कृषि भूमियों खसरा संख्या 725/206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 726/206 रकबा 5 बीघा भूमि पर तहसीलदार नैनवां को नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां बून्दी।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

COURT DECISION 2022